मूल वाद मेंडिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

राजस्व वाद संख्या :–72/2023

जोशेशवर सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादी

बनाम

1. जगरूप सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :–09/04/2025

वादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणाअधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री नवीन कुमार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

प्रतिवादी द्वितीय पक्ष स.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 पीबीएन के खाता सं. 23/44 के प.नं. 53/299 (23) किला नं. 19 ता 24, 25/1, 25/2, प.नं. 53/300 (34) किला नं. 1/1, 1/2 की कुल 2.024 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 09/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:22:44 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी एवम्

पदेन सहायक कलक्टर

पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा